सत्यमेव जयते

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड

भारत सरकार

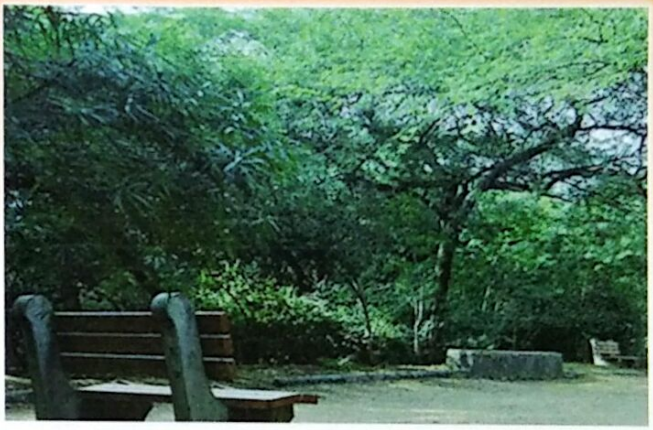

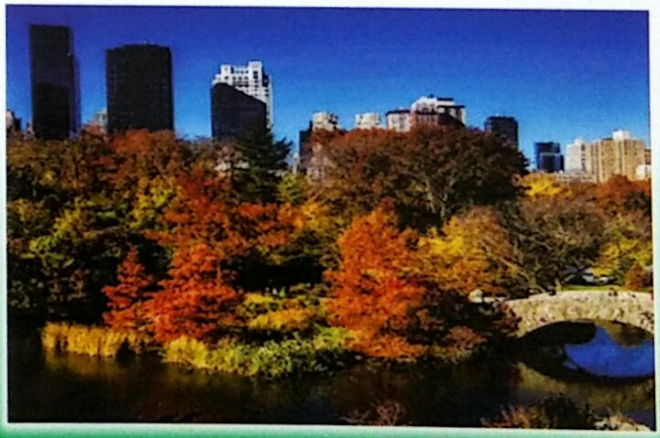

जहाँ है हरियाली।
वहाँ है खुशहाली।।

नगर वन योजना

(संशोधित दिशानिर्देश संस्करण)

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड

भारत सरकार

जहाँ है हरियाली।
वहाँ है खुशहाली।।

नगर वन योजना

(संशोधित दिशानिर्देश संस्करण)

कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देशों के संबंध में सूचना

वर्ष 2015 में शुरू की गई पहले की नगर वन उद्यान स्कीम में कुछ संशोधनों को करने के साथ नगर वन योजना (एनवीवाय) की प्रायोगिक स्कीम वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इसके कार्यान्वयन से प्राप्त हुए अनुभव और समय–समय पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ किए गए विचार–विमर्शों में यह देखा गया है कि नगर पालिका की सीमा के भीतर वन भूमि और वह भी न्यूनतम 10 हेक्टेयर की विस्तार सीमा में वन भूमि को ढूंढना बहुत कठिन है जिसके परिणामस्वरूप इस स्कीम का कार्यान्वयन बहुत धीमी गति से हुआ है।

अतः इस स्कीम के तहत और अधिक क्षेत्र को शामिल करने और नगर पालिका वाले सभी शहरों तक इसे विस्तारित करने के लिए नगर वन योजना (एनवीवाय) की समीक्षा की गई है। संशोधित नगर वन योजना का उद्देश्य,वनों के बाहर वृक्षों और शहरों में हरित आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि के लक्ष्य सहित 400 नगर वन और 200 नगर वाटिका को विकसित करना है जिससे बेहतर पर्यावरण, शहरी और उप–शहरी क्षेत्रों में जैवविविधता और पारिस्थितिकीय लाभों में वृद्धि के अलावा शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

संशोधित स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत है:

1. इस स्कीम के तहत नगर निगम/नगरपालिकाओं/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) वाले सभी शहरों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
2. नगर वन के लिए न्यूनतम क्षेत्र की सीमा 10 हेक्टेयर से किसी भी आकार सीमा तक की है, किंतु अनुदान अधिकतम 50 हेक्टेयर तक सीमित रहेगा।
3. शहरों के भीड़–भाड़ वाले हिस्सों में, न्यूनतम 1 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक के क्षेत्र को नगर वाटिका के रूप में शामिल किया जा सकता है।
4. नगर वन स्थल, शहरों के भावी विस्तारण और आस–पास हरियाली प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए शहर की सीमा से 5 किमी तक की दूरी पर हो सकता है।
5. वन भूमि के इतर क्षेत्र पर भी विचार किया जा सकता है।
6. इस स्कीम में चार वर्षों अर्थात् 2021–22 और 2024–25 में 400 नगर वन और 200 नगर वाटिका का विकास करना प्रस्तावित है।
7. नगर निगम/नगरपालिकाएं/यूएलबी और अन्य भूमि स्वामित्व वाले अभिकरण भी वित्तीय सहायता हेतु संबंधित राज्य वन विभाग के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
8. नगर वन और वाटिका के विकास और प्रबंधन में आम लोगों, छात्रों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सहित पीपीपी माध्यम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
9. वृक्षों का चयन स्थानीय स्थितियों के लिए सर्वोत्तम अनुकूल प्रजातियों, जिसमें प्रचुर जैवविविधता, फल देने वाले वृक्षों, औषधीय प्रजातियों के पौधों का रोपण पर बल दिया गया हो, से होना चाहिए, जो प्रजातियां पक्षियों, तितलियों आदि को आकर्षित कर सके, पारिस्थितिकीय मूल्यों में वृद्धि और प्रदूषण उपशमन कर सकें।
10. सभी नगर वन/वाटिका उपयुक्त प्रतिबंधों की शर्तों पर जनता के लिए खुले रहने चाहिए।
11. नगर वन/वाटिका का कम से कम दो तिहाई क्षेत्र वृक्ष आवरण/वृक्ष क्षेत्र के तहत होना चाहिए। नगर वन/वाटिका में जैवविविधता उद्यान, नक्षत्र, वन, तितली संरक्षण, जल

निकाय, स्मृति वन, हर्बल उद्यान आदि के घटकों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके और जैवविविधता का स्व–स्थाने संरक्षण करने में सहायता मिल सके।

12. वित्तीय सहायता का घटक वही अर्थात् 4 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर रहेगा।

इन दिशानिर्देशों में उपरोक्त संशोधनों को उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

प्रथमाक्षर और संक्षिप्त शब्द

कैम्पा	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
सीईआर	सामूहिक पर्यावरणीय उत्तरदायित्व
सीएसआर	सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व
जीपीएस	वैश्विक अवस्थिति प्रणाली
केएमएल	कीहोल मार्कअप भाषा
एमएंडई	निगरानी और मूल्यांकन
एमओईएफएंडसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एनए	राष्ट्रीय प्राधिकरण
एनएईबी	राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनवीवाई	नगर वन योजना
पीसीसीएफ	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
आरसी	क्षेत्रीय केंद्र
एसएफडी	राज्य वन विभाग
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	परिचय	
क	अवलोकन	1
ख	उद्देश्य	1
ग	नगर वन योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश	2–6
ग.।	सामान्य	2–4
ग.।।	नगर वन योजना के घटक	4–5
ग.।।।	प्रस्ताव तैयार करना और उसका अनुमोदन	5–6
घ	योजना के तहत लक्ष्य	6
ड.	योजना के तहत निधि स्थानांतरण क्रियाविधि	7–9
च	निगरानी	9
छ	बजट योजना	10
ज	अनुमानित योजना परिणाम	11

परिचय

भारत के वन आर्थिक गतिविधियों, चाहे वह कृषि या औद्योगिक मूल की हो, से होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध सुरक्षा की पहली पंक्ति हैं। इसलिए भारत के वन क्षेत्र को संरक्षित करने और बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना करने के लिए पर्याप्त नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।

शहरीकरण एक वैश्विक अवधारणा है, शहरीकरण का स्तर और शहरी विकास की दर विश्व के विभिन्न हिस्सों में भिन्न–भिन्न होती है। इस अनियंत्रित शहरीकरण के परिणामस्वरूप भारत के साथ–साथ विश्व के कई शहरों में शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण में गिरावट आई है। वर्ष 2025 तक विश्व की लगभग दो तिहाई आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है। जनसंख्या में वृद्धि ने शहरी भारत में हरित आवरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण, शहर के निवासियों और प्रकृति के मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। तेजी से शहरीकरण ने पिछले कुछ दशकों में वनों के क्षेत्र में भारी कमी की है। वन आवरण के ह्रास ने बदले में पारिस्थितिकी संतुलन और समाज की आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) शहरीकरण के दुष्परिणामों से निपटने सहित कार्बन स्टॉक को अधिकतम करने के लिए वन गुणवत्ता बढ़ाने और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने हेतु ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, मंत्रालय ने हमारी नीतियों और कार्यक्रमों में बड़े परिवर्तन करने और लोगों की भागीदारी से कई पहलों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

नगर वन योजना की शुरुआत जून, 2020–21 में 'विश्व पर्यावरण दिवस' समारोह के दौरान की गई थी। वर्ष 2015 के दौरान कार्यान्वित नगर वन उद्यान योजना को संशोधित कर तैयार की गई ''नगर वन योजना'' के कार्यान्वयन का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में देश भर में 'नगर वन' विकसित करना है। इस योजना को लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर नए सिरे से विचार करते हुए संशोधित किया गया है, और इसे विभिन्न एजेंसियों द्वारा सहयोगात्मक तरीके से लागू किया जाना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वन/गैर–वन भूमि को शहरों/कस्बों में या इनके आसपास क्षरण और अतिक्रमण से बचाकर, वन/हरित स्थान बनाना है। यह योजना शहरी परिदृश्य में सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए जैव–विविधता वाले वनों के विकास में स्थानीय निवासियों और विभिन्न एजेंसियों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए बनाई गई है।

मंत्रालय के वनरोपण/वृक्षारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को सुधारने की दिशा में अब तक किए गए प्रयास कुछ हद तक सफल रहे हैं। एक समग्र दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा हस्तक्षेपों में आवश्यक संशोधन अपरिहार्य है, कार्यान्वयन एजेंसियों के फीडबैक के आधार पर एनवीवाय के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। इन कार्यान्वयन दिशानिर्देशों से इस योजना के बारे में और अधिक स्पष्टता आने तथा योजना के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करके इसके लाभों को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है।

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नगर वन योजना (एनवीवाय)

"एक कदम हरियाली की ओर"

शहरी वन क्षेत्र, शहरी भूदृश्य में ऐसी हरित अवसंरचना हैं, जहां वृक्ष और संबद्ध वनस्पति क्षेत्र पर्यावरणीय सेवाएं जैसे वायु को स्वच्छ रखना, स्थानीय पर्यावरण, मनोरंजन और सौंदर्यपरक मूल्यों में सुधार करने की व्यवस्था प्रदान करते हैं।

क. दृष्टिकोण : नगर निगम / नगरपालिका परिषद / नगरपालिका / शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) वाले प्रत्येक शहर में नगरवासियों को समग्र स्वस्थ जीवन जीने का वातावरण प्रदान करने के लिए नगर वन / नगर वाटिका का सृजन करना और स्वच्छ, हरित, स्वस्थ और संधारणीय शहरों की वृद्धि में योगदान देना।

ख. उद्देश्य :

1. एक शहरी अवसंरचना में हरित स्थान और सौंदर्यपरक पर्यावरण का सृजन करना।
2. पौधों और जैव–विविधता के विषय में जागरूकता सृजित करना और पर्यावरण प्रबंधन का विकास करना।
3. क्षेत्र विशिष्ट के महत्वपूर्ण वनस्पतिजात के स्व–स्थाने संरक्षण को सुकर बनाना।
4. प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ वायु प्रदान करके, ध्वनि प्रदूषण में कमी करके, जल संचयन और गर्म द्वीपों के प्रभाव में कमी करके शहरों के पर्यावरणीय सुधार में योगदान देना।
5. शहर के निवासियों के स्वास्थ्य लाभों में विस्तार करना और
6. शहरों को जलवायु अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करना।

ग. नगर वन/वाटिका योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश

नगर वन/नगर वाटिका, एक शहर या इसके आस–पास में वन क्षेत्र है/होगा। नगर वन/वाटिका को शहर वासियों/आम जनता को सुलभ होना चाहिए और इसे मनोरंजन, शिक्षा, जैवविविधता संरक्षण के लिए समग्र प्राकृतिक पर्यावरण और सहायक सेवाओं जैसे जल और मृदा संरक्षण, प्रदूषण उपशमन, नियमित उपयोग हेतु महत्वपूर्ण घटकों सहित शहर के गर्म प्रभाव में कमी करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाएगा।

ग I. सामान्य :

1. इस स्कीम को वर्ष 2020–21 से शुरू करके वर्ष 2024–2025 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

2. इस स्कीम का उद्देश्य नगरनिगम/नगर पालिका परिषद/नगरपालिका वाले शहरों में देश भर में 400 नगर वनों और 200 नगर वाटिकाओं को विकसित करना है।

3. नगर वन को न्यूनतम 10 हेक्टेयर और अधिकतम 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर शहर की सीमा से 5 किमी तक की दूरी पर विकसित किया जा सकता है।

4. नगर वाटिका को न्यूनतम 1 हेक्टेयर और अधिकतम 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर शहर की सीमा के भीतर विकसित किया जा सकता है।

5. इस स्कीम का उद्देश्य, नगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर या इसके सामीप्य में लगभग 5 किमी की सीमा में अवस्थित हरा–भरा बनाने/वृक्षारोपण के लिए मुख्यतः वन या उपलब्ध अन्य भूमि पर नगर वन/नगर वाटिका का विकास करना है। इसका उद्देश्य स्थल की स्थानीय स्थितियों के अनुसार झाड़ियों की विभिन्न प्रकार की स्थानीय रूप से उपयुक्त प्रजातियों और वृक्षों के उचित मिश्रण के रोपण द्वारा वनस्पति की सघनता में सुधार करना और शहरों के भीतर या उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित उन वन भूमि क्षेत्रों को सुरक्षित रखना होगा, जो प्रभावित/अवक्रमित हो रहे हैं और अतिक्रमण के खतरे का सामना कर रहे हैं।

6. नगर वन/नगर वाटिका को वन क्षेत्र या अन्य खाली पड़े हुए और गैर–वन सार्वजनिक भूमि क्षेत्र पर विकसित किया जाए।

7. चयन किया गया क्षेत्र शहर के निवासियों/आम जनता के लिए सुगम होगा।

8. नगर वन में न्यूनतम 2/3 क्षेत्र वुडलैंड/वृक्षावरण के तहत होना चाहिए और इसे शहरी स्थानों में हरित आवरण में विस्तार करने के लिए वन भूमि से इतर अन्य भूमि क्षेत्रों पर भी विकसित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

9. राज्य सरकारों की सिफारिश के आधार पर नगर वन/नगर वाटिका का विकास करने के लिए भी वन विभागों से इतर अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे नगरपालिकाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

10. शैक्षिक संस्थान, विश्वविद्यालय, सरकारी गैर सरकारी संगठन/यूएलबी भी अपने स्वामित्व वाली भूमि पर नगर वन/वाटिका सृजित कर सकते हैं और प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भेजे जाने हैं।

11. स्वामित्व की भावना को विकसित करने के लिए स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों को पौध रोपण में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पौधरोपण संबंधी कार्यकलापों में लोगों को आकृष्ट करने के लिए पंचवटी, औषधि वाटिका, नक्षत्र वन, ऑक्सीजन जोन आदि का सृजन किया जा सकता है।

12. इस स्कीम की वित्तीय पद्धति निम्नवत होगीः

क. मंत्रालय 50 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 2.0 करोड़ रूपये की अधिकतम सीमा तक नगर वन/वाटिका के क्षेत्र के सृजन के लिए कार्यान्वयन अभिकरण को एक मुश्त विकास और गैर आवर्ती अनुदान प्रदान करेगा। कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा शेष राशि का वहन अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा।

ख. इस स्कीम के तहत भारत सरकार से वित्तीय सहायता राज्य वन विभाग (एसएफडी) को अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी और एसएफडी आगे सात (7) दिनों की अवधि के भीतर कार्यान्वयन अभिकरण के लिए अनुदान के हिस्से को जारी करेगा।

ग. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, एनजीओ, उद्योग, निगमित निकाय, सिविल सोसाइटियों आदि के वन और अन्य विभागों को शामिल करके सहयोगात्मक रीति से नगर वन/नगर वाटिका को विकसित किया जा सकता है।

घ. नगर वन/नगर वाटिका की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में नगर वन/नगर वाटिका का विकास पीपीपी मॉडल को अपनाते हुए सहभागी दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। यथा आवश्यक होने पर विभिन्न हितधारकों के बीच करार पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

ड. पौध रोपण को बढ़ाने और नगर वन/नगर वाटिका के अन्य घटकों को विकसित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों, निगमित निकायों, उद्योगों, सिविल सोसाइटी, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य संस्थानों को शामिल किया जा सकता है।

च. नगर वन/नगर वाटिका का कार्यान्वयन अभिकरण स्कीम के शुरू होने के प्रथम वर्ष से ही उपयोगकर्ता शुल्क द्वारा उगाही, अन्य अभिकरणों से अनुदान आदि प्राप्त कर सकता है।

छ. कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्राप्त की गई संपूर्ण निधियों का कोष सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में ब्याज वहन खाते के रूप में रखा जाएगा।

ज. इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक नगर वन/नगर वाटिका को पहले दो वर्षों के लिए ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

झ. प्रत्येक कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा पावतियों का विस्तृत लेखा और नगर वन/नगर वाटिका–वार व्यय अनुरक्षित रखा जाएगा। इसी तरह एसएफडी अपने कोष से पावतियों और कार्यान्वयन अभिकरण–वार व्यय का लेखा रखेगी।

ञ. कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्राप्त सभी निधियां चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के अध्ययीन होगी।

ग. II नगर वन/नगर वाटिका के संघटक

नगर वन/नगर वाटिका में निम्नलिखित कार्य मदें शुरू की जा सकती हैं :–

1. क्षेत्र में बाड़ लगाना ।

2. स्थानीय उपयुक्त वृक्ष/झाड़ी की प्रजातियों पर विशेष बल देते हुए वृक्ष क्षेत्रों/वृक्षावरण का सृजन और उनका रखरखाव करना।

3. स्मृति वन, राशि (नक्षत्र) वन आदि जैसे विषय आधारित पौधरोपण करना।

4. पुष्प संबंधी जैवविविधता का प्रतिनिधित्व करने के लिए पौधरोपण जिसमें सजावटी वृक्ष, झाड़ियां और लताएं, औषधीय पौधे, फूलों के पौधे, फलों के वृक्ष आदि शामिल हैं।

5. सिंचाई/वर्षा जल संभरण सुविधा।

6. जन सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं, बेंच, रास्ते/पगडंडी, जॉगिंग और साइकिल चलाने के रास्ते आदि की स्थापना और उनका रखरखाव करना।

7. सूचना और प्रसार केन्द्र, जिसमें आई एंड ई क्योस्क, प्रदर्शन पट्ट, संकेतक सूचना संबंधी विवरणिका आदि शामिल हैं, की स्थापना और उनका रखरखाव करना।

ग. III प्रस्ताव तैयार करना और उसका अनुमोदन

1. संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण, जिनके पास प्रस्तावित भूमि का अधिकार है, के द्वारा नगर वन/नगर वाटिका की स्थापना और उसके रखरखाव के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

2. कार्यान्वयन अभिकरण राज्य वन विभाग (एसएफडी) को प्रस्ताव करेगा और एसएफडी पुनरीक्षण के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय बोर्ड (एनएईबी) को उस पर विचार करने के लिए अग्रेषित करेगा।

3. इस प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) नगर वन/नगर वाटिका के लिए अभिज्ञात भूमि का विवरण स्पष्ट परिसीमा विवरण (जीपीएस निर्देशांक) सहित 1:10,000 या इससे अधिक माप पर केएमएल मानचित्र क्षेत्र के साथ होना चाहिए।

(ख) मद–वार लागत के साथ–साथ विभिन्न घटकों के अंतर्गत कार्यों के वर्ष–वार विवरण सहित एक विकास सह प्रबंधन योजना।

4. राज्य स्तर पर स्कीम का कार्यान्वयन और इसकी निगरानी का दायित्व एसएफडी का होगा।

5. इस स्कीम के अंतर्गत शहरी हरित प्रबंधन में समन्वय, निगरानी, प्रचार और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एनएईबी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित की जाएगी।

घ. स्कीम के तहत लक्ष्य

1. इस स्कीम में वर्ष 2020–21 से वर्ष 2024–25 तक की अवधि के दौरान पूरे देश में 400 नगर वन और 200 नगर वाटिकाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। भारत का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वर्ष 2023 तक इस प्रकार के 400 नगर वन/नगर वाटिकाओं की पहचान के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2. एसएफडी से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा। तथापि, प्रयास किया जाएगा कि देश के प्रत्येक शहर में कम से कम एक नगर वन / नगर वाटिका हो।

ड. स्कीम के अंतर्गत निधि अंतरण कार्यतंत्र

1. एनएईबी, एसएफडी से नगर वन / नगर वाटिका की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति पर इनकी जांच करेगा और इन्हें निधियां जारी करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक एसएफडी परियोजना को क्रमांकित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, संबंधित एसएफडी को सीधे तौर पर अनुदान के रूप में निधियां जारी करेगा।

2. मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार / भू–स्वामित्व वाले कार्यान्वयन अभिकरण को, कार्य आवश्यकता के आधार पर 2.00 करोड़ रुपए प्रति शहरी वन और 4.00 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम अनुदान तक एक बारगी अनुदान प्रदान करेगा।

3. यह अनुदान, दो किश्तों में जारी किया जाएगा जिसमें से मंजूर की गई धनराशि के 70% हिस्से की पहली किश्त एसएफडी को राष्ट्रीय प्राधिकरण (एनए) द्वारा परियोजना के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी तथा शेष दूसरी किश्त, पहली किश्त के 60% हिस्से

का उपयोग करने तथा उपयोग प्रमाणपत्र और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

4. अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु संबंधित अभिकरण को निधीयन संबंधी आवश्यक प्रावधान अग्रिम रूप से करने चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें/कार्यान्वयन अभिकरण, सीईआर/सीएसआर निधियों सहित विभिन्न संसाधनों से निधियां जुटा सकते हैं। तथापि, प्रत्येक कार्यान्वयन अभिकरण, विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त निधियों और उन निधियों में से उपगत व्यय का लेखा जोखा रखेगा। इस प्रस्ताव के साथ परियोजना की शेष लागत का वहन करने संबंधी वचनपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

5. निधियन पैटर्न :

(क) 2.0 करोड़ रूपए की निधियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे :

i. बाड़ा बनाने की लागत

ii. मृदा–आर्द्रता संरक्षण उपाय और संबंधित कार्यकलाप

iii. प्रशासनिक लागत

iv. पौधरोपण और पौधरोपण की अनुरक्षण लागत

(ख) एनजीओ, कॉर्पोरेट निकाय, उद्योग, सिविल सोसायटी को भी शामिल किया जा सकता है जो अन्य संघटकों को विकसित करने में योगदान देंगे, जैसे कि :

i). नर्सरी/नन्हें पौधों को लगाने सहित पौधरोपण, खाद–बनाना, भू–दृश्यन और वृक्षारोपण तथा इनका अनुरक्षण।

ii). सार्वजनिक सुविधाओं, साइनेज, जॉगिंग ट्रैक, नेचर ट्रेल/फुटपाथ, बेंचस आदि सहित अन्य अनिवार्य मदे।

iii). अर्बोरेटम/बैम्बूसेटम/हर्बल/औषधीय पौधों, आदि जैसे विशेष संघटक।

6. स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग, ऊर्जा संरक्षण और अपशिष्ट पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाएगा।

7. परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए एसएफडी को एम एंड ई लागत जारी की जाएगी। प्रत्येक एसएफडी को निगरानी और अन्य निर्माण–कार्यों के लिए परियोजना के

पूर्ण होने तक 40,000/– रूपए प्रति माह की लागत से एक तकनीकी परामर्शी को नियुक्त करने की अनुमति होगी तथा एम एंड ई के लिए और अपरिव्यय खर्चों को पूरा करने के लिए एक मुश्त अनुदान के रूप में 50,000/– रूपए प्रति परियोजना भी दिए जाएंगे।

8. कार्यान्वयन अभिकरण, नगर वन/नगर वाटिका के अनुरक्षण और रखरखाव के लिए पर्याप्त राजस्व का सृजन सुनिश्चित करेंगे। राजस्व सृजन संबंधी आर्थिक कार्यकलापों के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी से सीडलिंग/नन्हें पौधों की बिक्री, मूल्य संवर्धित/संसाधित वन उत्पादों, विक्रय कीओस्क, मनोरंजनात्मक सुविधाओं, मेलों और त्योहारों के आयोजन इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।

च. निगरानी

1. नगर वन/नगर वाटिका को विकसित करने में संलग्न अभिकरण, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और प्रत्येक वर्ष दिसम्बर तक सभी कार्यकलापों की समग्र वार्षिक रिपोर्ट भी फोटो सहित तैयार करेगा और इसे एसएफडी को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इन रिपोर्टों को पीसीसीएफ/एसएफडी के माध्यम से अगले वर्ष के लिए निधियां जारी करने हेतु आगे और मूल्यांकन करने और विचारार्थ एनएईबी को भी भेजा जाएगा। एनएईबी को परियोजना की समापन रिपोर्ट भी जांच और मूल्यांकन के लिए इसी प्रणाली के माध्यम से भेजी जाएगी।

2. एसएफडी, इस स्कीम के अंतर्गत कार्यकलापों की प्रगति और समापन की निगरानी भी करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के प्रचालन हेतु तकनीकी परामर्शी और परिचर को नियुक्त करके स्कीम के समन्वयन, निगरानी और प्रचार–प्रसार के लिए एनएईबी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एक पीएमयू का गठन किया जाएगा। पीएमयू के प्रचालन, तृतीय पक्षकार द्वारा निगरानी एवं मूल्यांकन, दस्तावेजों/फिल्मों की तैयारी और प्रकाशन आदि का कार्य, एनएईबी की सूची में सम्मिलित अभिकरणों के माध्यम से किया जाएगा। पीएमयू के उपर्युक्त कार्यों पर होने वाले व्यय को राष्ट्रीय निधि से पूरा किया जाएगा। एनएईबी, पीएमयू के प्रचालनों को सुगम बनाने के लिए निगरानी

और मूल्यांकन हेतु एनएईबी की सूची में शामिल क्षेत्रीय केंद्रों (आरसी) को नियुक्त करेगा। पीएमयू के प्रचालनों के लिए अपेक्षित निधियों को सुगम सुवितरण के लिए, आरसी के माध्यम से, जब–कभी भी अपेक्षित हो, प्रदान किया जाएगा।

छ. . स्कीम बजट

यह स्कीम कैम्पा के तहत राष्ट्रीय निधि द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित होगी और इसका कार्यान्वयन कैम्पा के तहत राष्ट्रीय निधि से किए गए समान कार्यों के लिए सामान्य और विशिष्ट शर्तों (इस स्कीम के लिए) द्वारा नियंत्रित होगा। स्कीम की अनंतिम लागत (2020–21 से 2024–25 तक) नीचे दी गई है:

कुल लागत

क्र.सं.	कार्यों की मदें	अनुमानित लागत (करोड़ रूपये में)
1	नगर वन (कुल संख्या 400) नगर वाटिका (कुल संख्या 200)	800.00 80.00
2	राज्यों/एसएफडी को अनुदान (तकनीकी परामर्शदाता को रखना, निगरानी और उपरिव्यय के लिए एकमुश्त अनुदान)	9.54
3	एनएईबी के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई का परिचालन, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यशालाएं/सेमिनार, प्रचार, रिपोर्ट का प्रकाशन, फिल्में और अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि।	5.00
	कुल	**894.54 करोड (895.00 करोड़ रुपये)**

निधियों की वार्षिक मांग राज्यों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगी, हालांकि इसके उपरोक्त स्कीम के लिए लगभग 150 करोड से 200 करोड़ रूपये के लगभग होने की संभावना है।

ज. अपेक्षित योजना परिणाम

एक नगर वन / नगर वाटिका से निम्नलिखित परिणाम होने की अपेक्षा है :

- बेहतर वायु गुणवत्ता, प्रदूषण उपशमन, कार्बन प्रथक्करण, तापमान में कमी और शहरी ताप द्वीप प्रभाव, जल और मृदा संरक्षण।
- लोगों के मन पर शीतलन और शांतिदायक प्रभाव के साथ सौंदर्यपरक मूल्य वाले हरित स्थान का सृजन।
- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने के साथ हरित स्थानों का विकास शहरों को जलवायु अनुकूल बना सकता है।
- अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्यटन की वृद्धि और व्यवसाय और व्यापार का विस्तार हो सकते हैं, इस प्रकार स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार होता है।
- शहरी वन अनेक सकारात्मक सामुदायिक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं।